बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक–स्था०2/02–06/2016 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा,
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना एवं शेखपुरा।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रीय योजनागत योजना फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित योजना शीर्ष अन्तर्गत मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय के स्थापना/गैर स्थापना व्यय के वहन हेतु राशि भुगतान के लिए 4,33,600/–(चार लाख तैतीस हजार छः सौ) रूपये अतिरिक्त आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (ए०एस०आई० डिविजन) का पत्रांक– 2–3/2016/ए०एस०आई०–ई०एस० दिनांक 24.05.2016 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना (क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रूत सर्वेक्षण/फसल सांख्यिकी के सुधार) को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–ब–15/ बी०एस०जी०–102/ 2016–811/बी० दिनांक 12.08.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016–17 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक 10.08.2016 को स्वीकृति प्रदान की है एवं प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में उपबंधित राशि 31 मार्च 2017 तक की अवधि के व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक–फ०सां०स०–05/2010(खण्ड)/2174 दिनांक 25.11.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए केन्द्रीय योजनागत योजना–फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित्त योजना में स्वीकृत पदों का 4473000/–(चौवालीस लाख तेहत्तर हजार रुपये) के अनुमानित व्यय पर पद अवधि का विस्तार किया गया है।
3. कंडिका–1 के आलोक में 01 अप्रैल 2016 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रावधानित राशि से योजना मद में आवंटित किया जा सकता है।
4. कंडिका–02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
5. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष–3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204–केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष–0409–फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित योजना शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०–35 एवं विपत्र कोड– S/3454022040409 है।
6. संलग्न विवरणी के क्रमांक–1 एवं 2 से 3 के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना होंगे।

7. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

8. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

10. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक- 3429 दिनांक 01.04.2015 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन
ह०/-
(प्रमोद कुमार वर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक- दिनांक-

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक

ज्ञापांकः- /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः- संबंधित कोषागार पदाधिकारी

2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक

ज्ञापांक- 19 दिनांक- 02/12/16

प्रतिलिपिः- योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. संयुक्त निदेशक योजना/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना

3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन प्रसाद सिन्हा, कार्यालय परिचारी(गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

2/12

निदेशक

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0409-फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित योजना शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-**S/3454022040409** है।

क्रमांक	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	11-01 यात्रा भत्ता	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	150000	210000	30000	8400	4000	-	402400	25000	427400
जिला सांख्यिकी कार्यालय										
2	पटना	1500	1500	1000	-	200	-	4200	-	4200
3	शेखपुरा	-	2000	-	-	-	-	2000	-	2000
	कुल योग	151500	213500	31000	8400	4200	0	408600	25000	433600

(चार लाख तैतीस हजार छः सौ) रुपये मात्र।

(प्रमोद कुमार वर्मा)
निदेशक